| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>प्रकरण संख्या-1445/2021<br>राज्य बनाम ईमरान वगै. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुम्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12.05.2026 | अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्त उपस्थित।<br>प्रकरण में अभियुक्त अरनव गांगुली पुत्र श्री चिन्मय गांगुली की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अंतर्गत उन्मोचन हेतु प्रस्तुत आवेदन/लिखित बहस पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को भी सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप-पत्र, अनुसंधान के दौरान संकलित कथन, बैंक एवं इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन से संबंधित सामग्री, शिनाख्तगी कार्यवाही, धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कथित सूचनाएँ, घटनास्थल तस्दीक संबंधी कार्यवाहियाँ, अभियुक्त की सेवा-स्थिति से संबंधित तथ्य, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस, तथा माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1, बून्दी द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 एवं तत्पश्चात पारित आदेश दिनांक 18.03.2026 का सावधानीपूर्वक, सूक्ष्म एवं समग्र अवलोकन किया गया। चूँकि यह प्रकरण पूर्व में दो बार माननीय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है, अतः वर्तमान आदेश पारित करते समय इस न्यायालय द्वारा विशेष सावधानी अपनाई गई है कि माननीय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा इंगित प्रत्येक तथ्यात्मक एवं विधिक पहलू पर स्पष्ट, तर्कसंगत और स्वतंत्र विचार किया जाए।<br>पत्रावली से प्रकट होता है कि इस प्रकरण की उत्पत्ति परिवादी मोहन पुत्र हीरालाल, जाति गुर्जर, उम्र 22 वर्ष, पेशा दुकानदारी, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, बायपास रोड, बून्दी द्वारा दिनांक 16.07.2021 को पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी में प्रस्तुत लिखित तहरीरी रिपोर्ट से हुई। उक्त रिपोर्ट में परिवादी ने यह कथन किया कि वह बायपास गुरुद्वारा के पीछे बून्दी का रहने वाला है तथा सिलोर पुलिया के नीचे पान की केबिन चलाता है। परिवादी के अनुसार दिनांक 25.06.2021 को उसके मोबाइल नंबर 8003207127 पर मोबाइल नंबर 8000330669 से तौसिफ | |

| | | |
|---|---|---|
| | बायपास बून्दी का फोन आया और तौसिफ ने उससे गांजे की मांग की, जिस पर परिवादी ने हाँ कर दी। परिवादी ने आगे यह लिखा कि कुछ समय पश्चात तौसिफ तथा 7-8 अन्य व्यक्ति बोलेरो गाड़ी, एक अन्य काले रंग की कार तथा दो मोटरसाइकिलों पर आए। उक्त व्यक्ति परिवादी मोहन, उसके साथी प्रवीण कुमार मेघवंशी तथा महावीर मीणा को बायपास गुरुद्वारा के सामने से बोलेरो गाड़ी में बैठाकर मारपीट करते हुए, एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी देते हुए तथा अपने आपको नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बताते हुए तालेड़ा होते हुए मण्डाना, कोटा ले गए। रिपोर्ट में आगे कथन है कि मण्डाना में परिवादी और उसके साथियों के साथ मारपीट की गई, उन्हें डराया-धमकाया गया, परिवादी से 5,000/- रुपये नगद, प्रवीण के पास से 36,000/- रुपये नगद तथा महावीर के पास से 5,000/- रुपये नगद ले लिए गए। इसके पश्चात और अधिक राशि की मांग की गई और धमकी दी गई कि यदि और पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें एन.डी.पी.एस. केस में फँसा दिया जाएगा। परिवादी ने रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा कि उसने अपने फोन-पे नंबर 8003207127 से फोन-पे नंबर 7737135255 पर शानु नामक व्यक्ति को 15,000/- रुपये दो बार भेजे। महावीर के फोन-पे नंबर से फोन-पे नंबर 7340140478, रोहित संगत के नंबर पर 20,000/- रुपये भेजे गए। मण्डाना ई-मित्र से प्रवीण मेघवंशी के ए.टी.एम. से 40,000/- रुपये निकालकर कथित व्यक्तियों को दिए गए। इसके बाद परिवादी और उसके साथियों को मारपीट करते हुए हैंगिंग ब्रिज, कोटा ले जाया गया, जहाँ महावीर को ब्रिज के नीचे लटकाकर डराया-धमकाया गया और एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी देते हुए और पैसे मंगाने की बात कही गई। परिवादी के अनुसार महावीर के परिवार वाले 1,60,000/- रुपये नगद लेकर हैंगिंग ब्रिज आए और उक्त राशि कथित व्यक्तियों को दी गई। इस प्रकार परिवादी ने कुल 2,96,000/- रुपये लिए जाने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि वे लोग डरते-डराते बून्दी आए और भय के कारण पूर्व में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, अब रिपोर्ट कर रहे हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी में प्रकरण संख्या 181/2021 अंतर्गत धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। | |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रथम सूचना रिपोर्ट के मूल कथानक का गंभीर परीक्षण करने पर इस न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम यह महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि FIR में अभियुक्त अरनव गांगुली का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। रिपोर्ट में तौसिफ का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है, परंतु अरनव गांगुली का नाम नहीं लिया गया। FIR में उसका पिता का नाम, उसका पद, उसका हुलिया, उसका कद-काठी, रंग-रूप, बोली, पहचान का कोई विशेष संकेत, वाहन से संबंध, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, फोन-पे नंबर, या कोई ऐसी विशिष्ट परिस्थिति अंकित नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि परिवादी ने घटना के समय उसे पहचाना था या उसके संबंध में कोई ठोस तथ्य तत्काल पुलिस को बताया था। FIR में यह भी नहीं लिखा गया कि अरनव गांगुली नामक व्यक्ति ने परिवादी को पकड़ा, बोलेरो में बैठाया, मारपीट की, एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी दी, राशि मांगी, राशि प्राप्त की, फोन-पे करवाया, ए.टी.एम. से राशि निकलवाई, हैंगिंग ब्रिज पर महावीर को डराया, महावीर को पुल से नीचे लटकाया, या महावीर के परिवार वालों से नगद राशि प्राप्त की। FIR में केवल इतना सामान्य कथन है कि कुछ व्यक्ति स्वयं को नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी/कर्मचारी बता रहे थे। मात्र यह सामान्य कथन, बिना नाम, बिना पहचान, बिना विशिष्ट भूमिका और बिना स्वतंत्र corroboration के, अभियुक्त अरनव गांगुली को घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, विशेषतः जब बाद में कराई गई शिनाख्तगी कार्यवाही भी अभियुक्त के विरुद्ध सफल नहीं रही।<br><br>यह भी उल्लेखनीय है कि FIR में घटना दिनांक 25.06.2021 की बताई गई है, जबकि रिपोर्ट दिनांक 16.07.2021 को दर्ज कराई गई। इस प्रकार घटना और रिपोर्ट के बीच लगभग 21 दिन का विलंब है। न्यायालय इस विधिक स्थिति से अवगत है कि FIR में विलंब मात्र से अभियोजन कथानक स्वतः असत्य या अस्वीकार्य नहीं हो जाता। कई मामलों में भय, दबाव, सामाजिक परिस्थिति, चोट, चिकित्सा, दूरी अथवा अन्य कारणों से विलंब हो सकता है और यदि विलंब का उचित स्पष्टीकरण हो तो अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह विलंब अत्यंत महत्वपूर्ण परिस्थिति बन जाता है, क्योंकि | |

| | | |
|---|---|---|
| | इतने लंबे अंतराल के पश्चात भी परिवादी ने अभियुक्त अरनव गांगुली का नाम, हुलिया, भूमिका या पहचान संबंधी कोई तथ्य नहीं बताया। परिवादी ने विलंब का कारण भय बताया, किंतु यदि इस भय को एक क्षण के लिए स्वीकार भी किया जाए, तो यह स्वाभाविक अपेक्षा थी कि जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों से परिवादी और उसके साथी इतने भयभीत थे कि 21 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके, उन व्यक्तियों के बारे में वे कम से कम कुछ पहचान-सूचक तथ्य अवश्य बताते। वे यह बताते कि कौन व्यक्ति नारकोटिक्स अधिकारी जैसा दिख रहा था, किसने धमकी दी, किसने पैसे मांगे, किसने मारपीट की, किसने पुल से लटकाया, किसने स्वयं को अधिकारी बताया, उसका रंग-रूप क्या था, उम्र क्या थी, भाषा कैसी थी, या वह अन्य व्यक्तियों से कैसे अलग था। परंतु FIR में अभियुक्त अरनव गांगुली के संबंध में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है। इसके विपरीत बाद में कराई गई शिनाख्तगी कार्यवाही में भी परिवादी और गवाह अभियुक्त को पहचानने में असफल रहे। इस प्रकार FIR में विलंब, FIR में अभियुक्त का नाम/हुलिया/विशिष्ट भूमिका न होना और TIP में पहचान न होना—ये तीनों तथ्य मिलकर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन की प्रथमदृष्टया कड़ी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परिवादी ने स्वयं रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि जब तौसिफ ने उससे गांजे की मांग की, तो उसने हाँ कर दी। यह कथन स्वयं FIR का हिस्सा है। वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा परिवादी के विरुद्ध कोई निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं है और न ही यह इस स्तर पर विचारणीय है कि परिवादी किसी अपराध में संलिप्त था या नहीं। तथापि, यह तथ्य वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि और अनुसंधान की निष्पक्षता के परीक्षण में महत्वपूर्ण है। यदि FIR में स्वयं यह तथ्य दर्ज है कि परिवादी ने गांजा देने की सहमति दी थी, तो यह कथन मादक पदार्थों से संबंधित संभावित अवैध गतिविधि की ओर संकेत करता है। ऐसी स्थिति में विवेचक से अपेक्षित था कि वह इस पहलू की भी निष्पक्ष जाँच करता। किंतु पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता कि परिवादी के उक्त स्वीकारोक्ति-जैसे कथन के आधार पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम के संदर्भ में कोई स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ या संतोषजनक अनुसंधान किया गया। अभियुक्त पक्ष ने इस तथ्य को | |

| | | |
|---|---|---|
| | विशेष रूप से उठाया है और यह तर्क दिया है कि परिवादी को पूरी तरह निर्दोष सामान्य नागरिक मानते हुए केवल उसकी विलंबित रिपोर्ट पर केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को आरोपित करना अनुसंधान की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है। इस न्यायालय के मत में यह तर्क इस स्तर पर पूर्णतः असंगत नहीं कहा जा सकता। | |
| | अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा परिवादी मोहन गुर्जर और गवाह प्रवीण कुमार मेघवंशी तथा महावीर मीणा के कथन धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिए गए। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादी मोहन गुर्जर और गवाह प्रवीण कुमार मेघवंशी के बैंक खातों की डिटेल प्राप्त की गई। दिनांक 17.07.2021 को इमरान पुत्र हकीम, अकरम हुसैन पुत्र हकीम, प्रवीण पुत्र पूरणलाल जाति वाल्मीकि तथा रोहित संगत उर्फ सोनू से पूछताछ की गई और उन्हें धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों को बापर्दा गिरफ्तार कर शिनाख्तगी हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक 27.07.2021 को एस.डी.एम. बून्दी द्वारा जिला कारागृह बून्दी में उक्त अभियुक्तों की शिनाख्तगी कार्यवाही कराई गई, जिसमें परिवादी और गवाहों द्वारा उक्त अभियुक्तों को पहचानने का उल्लेख है। उसी दिन कथित आरोपी तौसिफ पुत्र अख्तर अली उर्फ अख्तर बाबा से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया गया। तौसिफ की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर कथित माल मशरूका में से 3,000/- रुपये जब्त करने तथा मोटरसाइकिल एच.एफ. डीलक्स RJ-20 SW-6449 जब्त करने का उल्लेख अनुसंधान में किया गया। | |
| | इसके पश्चात इमरान, अकरम, प्रवीण झावा और रोहित संगत उर्फ सोनू को न्यायालय के आदेश से पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कथित सूचनाओं पर घटनास्थल तस्दीक कर नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 03.08.2021 को इन अभियुक्तों का पुलिस रिमाण्ड चाहा गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। पुलिस ने आगे यह कारण बताया कि प्रकरण गंभीर प्रकृति का है, कथित छीनी गई रकम 2,93,000/- | |

| | | |
|---|---|---|
| | रुपये बरामद करनी है, साथी अपराधियों के बारे में पूछताछ करनी है तथा कोटा हैंगिंग ब्रिज और मण्डाना में घटनास्थल तस्दीक करवानी है। इस स्तर तक उपलब्ध अनुसंधान सामग्री में भी अभियुक्त अरनव गांगुली का नाम मूल FIR से नहीं, बल्कि आगे की पुलिस पूछताछ और कथित अभियुक्तीय कथनों से सामने आता प्रतीत होता है।<br>अभियुक्त अरनव गांगुली के संबंध में अनुसंधान में यह बताया गया कि दिनांक 17.08.2021 को उससे पूछताछ की गई। उसका परिचय इस रूप में दिया गया कि वह केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग/नारकोटिक्स विभाग भवानीमण्डी, झालावाड़ में निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। पूछताछ के बाद उसके विरुद्ध धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर उसे बापर्दा गिरफ्तार किया गया। उसकी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर कथित घटनास्थल तस्दीक की गई। उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसकी कथित निशानदेही से हैंगिंग ब्रिज, कोटा और एस.बी.आई. बैंक शाखा मण्डाना, कोटा का तस्दीक मौका घटनास्थल कराया गया। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में अभियुक्त अरनव गांगुली की परिवादी और गवाहों से शिनाख्तगी कार्यवाही एस.डी.एम. बून्दी से कराई गई। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस और माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशों में यह तथ्य प्रमुख रूप से आया है कि परिवादी मोहन, गवाह प्रवीण मेघवंशी और महावीर मीणा अभियुक्त अरनव गांगुली को शिनाख्तगी कार्यवाही में पहचानने में असफल रहे। यह तथ्य अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन की पहचान-संबंधी कड़ी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।<br>अनुसंधान सामग्री का समग्र परीक्षण करने पर यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त अरनव गांगुली से कथित उगाही की कोई राशि बरामद नहीं हुई। उसके कब्जे से कोई नकदी, कोई मोबाइल, कोई बैंक दस्तावेज, कोई डिजिटल डिवाइस, कोई वाहन, कोई हथियार, कोई विभागीय रिकॉर्ड या कोई ऐसा सामान बरामद नहीं हुआ जो कथित अपराध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। उसकी कथित धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना पर कोई ऐसी वस्तु या राशि प्राप्त नहीं हुई जो अभियुक्त की संलिप्तता की स्वतंत्र और ठोस | |

कड़ी बन सके। केवल हैंगिंग ब्रिज या एस.बी.आई. बैंक शाखा मण्डाना जैसे स्थानों की तस्दीक कराना, उस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण खोज नहीं माना जा सकता जब ये स्थान पहले से ही FIR और अन्य अनुसंधान सामग्री में वर्णित थे। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अपवाद सीमित है। उक्त धारा के अंतर्गत वही भाग ग्राह्य होता है जो किसी ऐसे तथ्य की खोज से सीधे संबंधित हो जो पूर्व में पुलिस को ज्ञात न हो और जो अभियुक्त की सूचना से प्रकट हुआ हो। यदि अभियुक्त की सूचना से कोई नई वस्तु, कोई राशि, कोई दस्तावेज, कोई डिजिटल प्रमाण या कोई स्वतंत्र incriminating discovery प्राप्त नहीं हुई, तो मात्र घटनास्थल तस्दीक अभियुक्त अरनव गांगुली के विरुद्ध धारा 384 और 386 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों का प्रथमदृष्टया आधार नहीं बन सकती।

अनुसंधान में एक अन्य गंभीर कमी यह है कि FIR में मोबाइल कॉल, फोन-पे, बैंक, ए.टी.एम. और ई-मित्र से संबंधित अनेक डिजिटल और बैंकिंग तथ्य स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। परिवादी ने स्वयं अपने फोन-पे नंबर, शानु के नंबर, रोहित संगत के नंबर, महावीर के फोन-पे, प्रवीण के ए.टी.एम. और ई-मित्र से राशि निकासी जैसे विशिष्ट तथ्य दिए। ऐसे मामले में स्वाभाविक और आवश्यक अनुसंधान यह अपेक्षित करता था कि प्रत्येक डिजिटल भुगतान का source और destination स्पष्ट किया जाता, प्रत्येक मोबाइल नंबर का subscriber detail, CDR, tower location, wallet statement, bank statement, beneficiary account details और लेन-देन की ultimate trail संकलित कर अभियुक्तों से जोड़ी जाती। अभियुक्त अरनव गांगुली के संदर्भ में अभियोजन ने ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादी या उसके साथियों का अभियुक्त से कोई फोन संपर्क हुआ, अभियुक्त का मोबाइल कथित घटना-स्थलों पर पाया गया, अभियुक्त ने कोई डिजिटल भुगतान प्राप्त किया, अभियुक्त के बैंक खाते में कोई राशि आई, अभियुक्त ने किसी अन्य के माध्यम से राशि प्राप्त कराई या अभियुक्त और कथित प्राप्तकर्ताओं के बीच कोई बैंकिंग/डिजिटल संबंध स्थापित हुआ। FIR में जिन फोन-पे नंबरों का उल्लेख है, वे शानु और रोहित संगत से संबंधित बताए गए हैं; अभियुक्त अरनव

| | | |
|---|---|---|
| | गांगुली के साथ उनका कोई प्रत्यक्ष बैंकिंग या डिजिटल link पत्रावली पर नहीं दर्शाया गया। इस प्रकार डिजिटल और बैंकिंग अनुसंधान अभियुक्त अरनव गांगुली की संलिप्तता स्थापित करने में असफल है।<br>यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि FIR में कथित रूप से मारपीट, भयादोहन, एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी, तथा महावीर को हैंगिंग ब्रिज से नीचे लटकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे आरोप यदि सही हों तो परिवादी और उसके साथियों के शरीर पर चोट, भय, प्रतिरोध, धक्का-मुक्की या अन्य शारीरिक प्रभाव के कुछ चिह्नों की संभावना हो सकती थी। परंतु पत्रावली से यह स्पष्ट नहीं होता कि परिवादी मोहन, प्रवीण या महावीर का मेडिकल परीक्षण कराया गया। यदि घटना 21 दिन पूर्व की भी थी, तब भी मेडिकल परीक्षण, injury history, या चिकित्सकीय corroboration का कोई प्रयास किया जा सकता था। मेडिकल परीक्षण का अभाव धारा 386 भारतीय दण्ड संहिता के उस तत्व को कमजोर करता है जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट के भय की बात आती है। यह कमी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभियुक्त अरनव गांगुली की पहचान, उपस्थिति और भूमिका पहले से ही संदिग्ध/अप्रमाणित अवस्था में है।<br>प्रकरण की प्रक्रियात्मक पृष्ठभूमि पर विचार करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 21.09.2021 को अभियुक्त अरनव गांगुली एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात अभियुक्त अरनव गांगुली की ओर से बहस सुनकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2021 को उसके विरुद्ध धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित करने का आदेश पारित किया गया। तदुपरांत दिनांक 25.08.2023 को आरोप सुनाए और समझाए गए। अभियुक्त ने उक्त आदेशों को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1, बून्दी के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी। माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 04.10.2024 को आदेश पारित कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2021 और 25.08.2023 को अपास्त किया।<br>माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2024 | |

| | | |
|---|---|---|
| | का विस्तार से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश केवल औपचारिक remand order नहीं था, बल्कि उसमें इस न्यायालय के पूर्व आदेश में कई substantive कमियाँ इंगित की गईं। माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने सबसे पहले FIR के तथ्य लिखे और यह नोट किया कि परिवादी ने 25.06.2021 की घटना के संबंध में 16.07.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुनरीक्षण न्यायालय ने यह भी नोट किया कि FIR में तौसिफ और 7-8 अन्य व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु अभियुक्त अरनव गांगुली का नाम मूल रिपोर्ट में नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय ने अभियुक्त की ओर से उठाए गए उन आधारों का उल्लेख किया कि उसके कब्जे से कथित उगाही की कोई धनराशि बरामद नहीं हुई; शिकायतकर्ता और सहयोगी पहचान परेड कार्यवाही में अभियुक्त को पहचानने में विफल रहे; धारा 197 दं.प्र.सं. के अनुसार लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी; FIR विलंब से दर्ज हुई; FIR में अभियुक्त का नाम नहीं था; FIR संख्या 252/2021 में भी उसके विरुद्ध कुछ नहीं पाया गया; CBN अधिकारियों को फँसाने के लिए पुलिस शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया; अभियुक्त से कुछ भी बरामद नहीं हुआ; अन्य अभियुक्तों के पुलिस कथनों पर निर्भरता रखी गई; बैंक खाते के विवरण में कोई अवैध या असामान्य लेन-देन नहीं पाया गया; CDR और बैंक रिकॉर्ड से शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संपर्क या लेन-देन स्थापित नहीं हुआ; और परिवादी के कथन से स्वयं उसकी मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधि सामने आती है।<br><br>माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.10.2024 में अभियुक्त की सेवा-स्थिति को भी संज्ञान में लिया। अभियुक्त की ओर से यह तर्क रखा गया था कि वह वित्त मंत्रालय, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, भारत सरकार में निरीक्षक के पद पर निवारक अधिकारी की क्षमता से कार्यरत था और उसके कर्तव्यों में नशीली दवाओं और तस्करों की अवैध गतिविधियों के संबंध में सूचना एकत्र करना तथा तस्करी-रोधी कार्यवाही करना शामिल था। अभियुक्त ने यह भी कहा कि उसे राजस्थान सहित भारत में कहीं भी ऐसे अपराधियों के संबंध में खोज, जब्ती और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई करने का अधिकार था। इस पृष्ठभूमि में अभियुक्त ने धारा 197 | |

दं.प्र.सं. के संरक्षण का दावा किया। माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने यह माना कि विचारण न्यायालय को इस तर्क पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि FIR का कथानक स्वयं नारकोटिक्स विभाग और एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी से जुड़ा है।

माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 04.10.2024 में यह भी स्पष्ट किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 09.12.2021 में मात्र यह कहा गया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित करने के पर्याप्त आधार हैं। परंतु पुनरीक्षण न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त की ओर से उठाए गए विशिष्ट आधारों पर कोई सूक्ष्म और तार्किक विवेचना नहीं हुई। पुनरीक्षण न्यायालय ने इस न्यायालय को स्पष्ट निर्देश दिया कि वह अभियुक्त की ओर से उठाए गए आधारों—FIR में नाम व कृत्य का अभाव, विलंब, धारा 197 दं.प्र.सं., TIP में पहचान न होना, FIR 252/2021 का संदर्भ, सह-अभियुक्तों के कथनों की धारा 25, 26 और 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कसौटी पर ग्राह्यता, घटना के समय अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में कॉल डिटेल या टावर लोकेशन जैसी प्रौद्योगिकी सामग्री का अभाव, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता और स्वीकार्यता, तथा धनराशि बरामद न होना—का विशिष्ट परीक्षण करे और यह देखे कि आरोप-विरचना के प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इस प्रकार प्रथम पुनरीक्षण आदेश में पूर्व आदेशों की कमी यह मानी गई कि आरोप-विरचना का आदेश अभियुक्त की विशिष्ट संलिप्तता की सामग्री का reasoned scrutiny किए बिना पारित किया गया था।

इसके बाद इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पुनः अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-विरचना का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त ने पुनः पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1, बून्दी द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पुनः इस न्यायालय का आदेश अपास्त कर प्रकरण वापस प्रतिप्रेषित किया गया। अभियुक्त की लिखित बहस में उक्त द्वितीय पुनरीक्षण आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने पुनः यह संज्ञान लिया कि पूर्व आदेश दिनांक 04.10.2024 में दिए गए निर्देशों का पूर्ण और वास्तविक अनुपालन

| | | |
|---|---|---|
| | नहीं हुआ। अभियुक्त ने पुनरीक्षण में यह आधार उठाया कि रिकॉर्ड पर उसके विरुद्ध आरोप तय करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है; उसके कब्जे से या उसकी निशानदेही पर कोई बरामदगी नहीं हुई; CDR और बैंक रिकॉर्ड से शिकायतकर्ता से कोई संपर्क या लेन-देन स्थापित नहीं; TIP में उसकी पहचान नहीं; FIR 252/2021 में आरोपी का हुलिया उससे भिन्न; घटना के लंबे अंतराल पश्चात एक के बाद एक FIR दर्ज हुईं; शिकायतकर्ता का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया; शिकायतकर्ता का आपराधिक रिकॉर्ड है; और अभियुक्त केंद्रीय सरकार का कर्मचारी/लोक सेवक होने के बावजूद धारा 197 दं.प्र.सं. की विधिक आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। उक्त आदेश का सार यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय ने फिर से विचारण न्यायालय से अपेक्षा की कि अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री की कानूनी sufficiency का वास्तविक परीक्षण किया जाए, न कि केवल सामान्य भाषा में प्रथमदृष्टया आधार मान लिया जाए।<br>अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में प्रारंभ से ही यह कहा गया है कि FIR में स्वयं परिवादी ने यह स्वीकार किया कि तौसिफ द्वारा फोन पर गांजा मांगे जाने पर उसने हाँ कर दी। अभियुक्त पक्ष ने इस तथ्य को अत्यंत गंभीर बताया और कहा कि FIR दर्ज करने वाले अधिकारी ने इस पहलू पर कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की, जबकि यह कथन स्वयं मादक पदार्थों से संबंधित संभावित अवैध गतिविधि की ओर संकेत करता था। अभियुक्त पक्ष ने तर्क रखा कि यदि परिवादी स्वयं गांजा उपलब्ध कराने के लिए तैयार था, तो उसे पूरी तरह निर्दोष सामान्य नागरिक मानकर पुलिस द्वारा केवल उसकी रिपोर्ट पर नारकोटिक्स अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण चलाना संदिग्ध है। इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान प्रश्न परिवादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना नहीं है, परंतु यह तथ्य अनुसंधान की निष्पक्षता और दिशा के मूल्यांकन में प्रासंगिक है, क्योंकि FIR का पूरा कथानक नारकोटिक्स विभाग, एन.डी.पी.एस. केस और मादक पदार्थ की मांग/आपूर्ति की पृष्ठभूमि से जुड़ा है। यदि FIR में ऐसा गंभीर तथ्य था, तो विवेचक से अपेक्षित था कि वह इस पहलू की भी निष्पक्ष जाँच करता। ऐसा न होना अनुसंधान की अपूर्णता को दर्शाता है। | |

| | | |
|---|---|---|
| | अभियुक्त की लिखित बहस में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त को लगभग एक महीने बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि प्रारंभिक गिरफ्तारियाँ अन्य अभियुक्तों की थीं। अभियुक्त को जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त का नाम मुख्यतः अन्य अभियुक्तों के कथनों से लाया गया। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के कारण पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त या सह-अभियुक्त द्वारा किए गए कथन सामान्यतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते। धारा 27 का अपवाद केवल discovery तक सीमित है। यदि कोई कथन किसी बरामदगी, कोई नई खोज, कोई वस्तु, कोई राशि या कोई दस्तावेज नहीं देता, तो वह कथन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-विरचना का स्वतंत्र आधार नहीं बन सकता। वर्तमान मामले में अरनव गांगुली से कोई कथित राशि बरामद नहीं हुई। उसकी निशानदेही से कोई नया माल, कोई दस्तावेज या कोई डिजिटल प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। अतः सह-अभियुक्तीय कथनों को स्वतंत्र corroboration के अभाव में पर्याप्त नहीं माना जा सकता।<br><br>अभियुक्त की लिखित बहस में यह भी कहा गया कि बैंक रिकॉर्ड में कोई असामान्य या अभियुक्त से संबंधित लेन-देन नहीं है। FIR में जिन राशियों का उल्लेख है, उनमें 15,000/- रुपये दो बार शानु को, 20,000/- रुपये रोहित संगत को, और 40,000/- रुपये ए.टी.एम. से निकालने का विवरण है। परंतु अभियुक्त अरनव गांगुली को इन राशियों से जोड़ने वाली कोई बैंकिंग chain नहीं है। यदि अभियोजन का आरोप है कि अभियुक्त ने षड्यंत्र में भाग लेकर राशि वसूली, तो कम-से-कम कोई ऐसा link अपेक्षित था कि राशि अभियुक्त तक पहुँची, अभियुक्त के निर्देश पर पहुँची, अभियुक्त के संपर्क व्यक्ति तक पहुँची, या अभियुक्त ने उस राशि के उपयोग में कोई भूमिका निभाई। पत्रावली पर ऐसा कोई material नहीं है। केवल यह कहना कि वह नारकोटिक्स विभाग का निरीक्षक था और कथित व्यक्तियों ने स्वयं को नारकोटिक्स अधिकारी बताया, अभियुक्त को राशि-प्राप्ति से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं।<br><br>अभियुक्त की ओर से यह भी कहा गया कि CDR निकाले गए, परंतु वे अभियुक्त को परिवादी से नहीं जोड़ते। यदि CDR में अभियुक्त और परिवादी/गवाहों के बीच कोई संपर्क नहीं है, तो यह | |

| | | |
|---|---|---|
| | अभियोजन के लिए कमजोर परिस्थिति है। यदि CDR उपलब्ध थे और अभियोजन ने उन्हें अभियुक्त के विरुद्ध उपयोगी नहीं पाया, तो अभियोजन को स्वतंत्र रूप से कोई अन्य ठोस सामग्री प्रस्तुत करनी थी। वर्तमान पत्रावली में ऐसा कोई प्रौद्योगिकी साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त की घटना-स्थल पर उपस्थिति सिद्ध हो। FIR में घटना के अनेक स्थान हैं—बायपास गुरुद्वारा, तालेड़ा मार्ग, मण्डाना, ई-मित्र, एस.बी.आई. बैंक शाखा मण्डाना, हैंगिंग ब्रिज, कोटा। इतने स्थानों पर कथित लंबी अवधि की घटना होने के बावजूद अभियुक्त की location, CCTV, toll, petrol pump, mobile tower, vehicle movement या अन्य digital footprint से कोई कड़ी नहीं जोड़ी गई। यह अनुसंधान की गंभीर कमी है।<br>अभियुक्त पक्ष ने FIR 252/2021 और FIR 182/2021 का उल्लेख भी किया। इस न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि अन्य FIRs की merits पर वर्तमान आदेश में अंतिम निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं है। फिर भी चूँकि माननीय पुनरीक्षण न्यायालय ने इन आधारों को विचारणीय माना और अभियुक्त ने उन्हें अपने बचाव की पृष्ठभूमि में उठाया, इसलिए इनका सीमित परीक्षण आवश्यक है। अभियुक्त का कहना है कि FIR 252/2021 में जिस व्यक्ति का हुलिया बताया गया, वह अभियुक्त या अन्य CBN अधिकारियों से मेल नहीं खाता। वहाँ भी कथित CBN अधिकारियों की संलिप्तता नहीं पाई गई। अभियुक्त पक्ष का यह तर्क है कि लंबी देरी से दर्ज की गई एक से अधिक FIRs, CBN अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा शक्ति-दुरुपयोग या दबाव बनाने की संभावना उत्पन्न करती हैं। वर्तमान आदेश केवल इस आधार पर अभियुक्त को discharge नहीं कर रहा, परंतु यह परिस्थिति अभियुक्त के उस बड़े तर्क को समर्थन देती है कि उसके विरुद्ध स्वतंत्र और विश्वसनीय material होना चाहिए था, जो नहीं है।<br>लिखित बहस में अभियुक्त ने यह भी कहा कि वाहन मालिक का कथन कि अभियुक्त ने वाहन किराए पर लिया था, पुलिस कथन मात्र है और उसे स्वतंत्र admissible evidence के रूप में आरोप-विरचना के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता, जब तक वह अन्य सामग्री से समर्थित न हो। यह भी कहा गया कि जिस वाहन का उल्लेख किया गया, वह अन्य FIR में भी प्रयुक्त बताया | |

| | | |
|---|---|---|
| | गया जहाँ CBN अधिकारी शामिल नहीं पाए गए। यदि वाहन संबंधी सामग्री अभियुक्त को जोड़ने का प्रमुख आधार है, तो वाहन की hire details, payment details, driver statement की स्वतंत्र पुष्टि, CCTV, travel record, toll या fuel record जैसी सामग्री अपेक्षित थी। ऐसी सामग्री पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध स्पष्ट रूप से नहीं है।<br>अब धारा 197 दं.प्र.सं. के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो/नारकोटिक्स विभाग में निरीक्षक बताया गया है। FIR में कथित घटना का मूल स्वरूप यह है कि कथित व्यक्ति स्वयं को नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बता रहे थे और एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी दे रहे थे। परिवादी ने स्वयं गांजा उपलब्ध कराने की सहमति का कथन किया है। इस प्रकार कथित घटना का पूरा रंग नारकोटिक्स विभाग, एन.डी.पी.एस. कानून, मादक पदार्थ, और official authority के उपयोग या दुरुपयोग से जुड़ा है। धारा 197 दं.प्र.सं. का उद्देश्य यह है कि लोक सेवकों को उनके पद के निर्वहन में किए गए या पद के निर्वहन का दावा करते हुए किए गए कार्यों के संबंध में अनावश्यक अभियोजन से संरक्षण दिया जाए। यह संरक्षण अपराध को वैध नहीं बनाता, परंतु यह सुनिश्चित करता है कि official duty से reasonable nexus वाले मामलों में सक्षम सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना लोक सेवक को आपराधिक मुकदमे में न घसीटा जाए।<br>माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने B. Saha v. M.S. Kochar, P.K. Pradhan v. State of Sikkim, D. Devaraja v. Owais Sabeer Hussain, Indra Devi v. State of Rajasthan तथा A. Sreenivasa Reddy v. Rakesh Sharma में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 197 दं.प्र.सं. का परीक्षण act complained of और official duty के बीच reasonable connection के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि कथित कृत्य official duty के निर्वहन में या official duty के निर्वहन का दावा करते हुए या official capacity के रंग में किया गया हो, तो sanction की आवश्यकता गंभीर रूप से उठती है। यह भी विधि है कि यदि कथित कृत्य पूरी तरह private act हो और official duty से कोई | |

| | | |
|---|---|---|
| | संबंध न हो, तो sanction आवश्यक नहीं होगा। परंतु वर्तमान मामले में आरोप किसी निजी विवाद या निजी दुश्मनी के नहीं हैं। आरोप का स्वरूप ही नारकोटिक्स विभाग की पहचान, एन.डी.पी.एस. केस में फँसाने की धमकी और कथित मादक पदार्थ संबंधी पृष्ठभूमि से जुड़ा है। अभियुक्त वास्तव में नारकोटिक्स विभाग का निरीक्षक था। अतः यह मामला धारा 197 दं.प्र.सं. के परीक्षण से बाहर नहीं माना जा सकता। अभियोजन ने सक्षम सरकार की पूर्व स्वीकृति का कोई आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। अतः यह अभियुक्त के पक्ष में महत्वपूर्ण विधिक आधार है।<br>शिनाख्तगी संबंधी विधिक स्थिति पर भी विचार आवश्यक है। यह सही है कि test identification parade substantive evidence नहीं है और अंतिम रूप से न्यायालय में पहचान का महत्व होता है। परंतु जहाँ अभियुक्त पूर्व परिचित न हो, FIR में उसका नाम न हो, हुलिया न हो, कोई पूर्व संपर्क न हो और TIP भी असफल हो जाए, वहाँ अभियोजन की पहचान-कड़ी अत्यंत कमजोर हो जाती है। Hare Krishna Singh v. State of Bihar, AIR 1988 SC 863 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि जहाँ अभियुक्त की पहचान विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं होती और गवाह TIP में पहचान नहीं कर पाते, वहाँ बाद के पुलिस कथनों या नामोल्लेख के आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध नहीं मानी जा सकती। वर्तमान मामले में स्थिति और गंभीर है, क्योंकि TIP हुई, परंतु अभियुक्त अरनव गांगुली की पहचान नहीं हुई। अतः यह अभियोजन की मूल पहचान-कड़ी की विफलता है।<br>धारा 384 और 386 भारतीय दण्ड संहिता के तत्वों पर विचार करने पर स्पष्ट है कि धारा 384 के लिए extortion आवश्यक है, जिसमें किसी व्यक्ति को भय में डालकर dishonestly inducement द्वारा संपत्ति दिलवाई जाती है। धारा 386 में यह भय मृत्यु या गंभीर चोट के भय तक बढ़ा हुआ होना चाहिए। अतः आरोप-विरचना के लिए यह दिखना चाहिए कि संबंधित अभियुक्त ने भय उत्पन्न किया, उस भय से संपत्ति दिलवाई, राशि प्राप्त की या अपराध में ऐसी भूमिका निभाई कि उसके विरुद्ध grave suspicion बने। अभियुक्त अरनव गांगुली के संबंध में FIR में नाम नहीं, भूमिका नहीं, पहचान नहीं; TIP असफल; recovery नहीं; bank trail नहीं; | |

CDR नहीं; tower location नहीं; धारा 27 से discovery नहीं; medical corroboration नहीं; और sanction नहीं। ऐसी स्थिति में धारा 384 और 386 के आवश्यक तत्व अभियुक्त से प्रथमदृष्टया नहीं जुड़ते।

धारा 239 दं.प्र.सं. की कसौटी पर न्यायालय को यह देखना होता है कि आरोप निराधार हैं या नहीं। यह सही है कि आरोप-विरचना के स्तर पर अभियोजन को अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं करना होता। यह भी सही है कि न्यायालय को mini trial नहीं करना चाहिए। परंतु यह भी विधि है कि न्यायालय अभियोजन का मात्र post office नहीं है। Dilawar Balu Kurane v. State of Maharashtra, State of Orissa v. Debendra Nath Padhi, P. Vijayan v. State of Kerala, Sajjan Kumar v. CBI, Amit Kapoor v. Ramesh Chander और Onkar Nath Mishra v. State (NCT of Delhi) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि आरोप-विरचना के लिए grave suspicion आवश्यक है; यदि सामग्री केवल suspicion या conjecture तक सीमित हो, तो discharge उचित है। वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरुद्ध सामग्री अनुमानों, सह-अभियुक्तीय कथनों और सामान्य विभागीय पहचान तक सीमित है। वह grave suspicion उत्पन्न नहीं करती।

अभियुक्त की ओर से Shafiya Khan @ Shakuntala Prajapati v. State of U.P., Criminal Appeal No. 200/2022 का हवाला भी दिया गया है। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि bald allegations और supporting factual material के अभाव में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। अभियुक्त का तर्क है कि उसके विरुद्ध भी वास्तविक supporting material नहीं है। इस न्यायालय को यह तर्क वर्तमान पत्रावली से समर्थित प्रतीत होता है, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध नाम, पहचान, recovery, CDR, bank link, medical corroboration और sanction जैसे सभी मूलभूत पहलुओं पर अभाव है।

इस न्यायालय ने अभियोजन के इस संभावित तर्क पर भी विचार किया कि आरोप-विरचना के स्तर पर केवल प्रथमदृष्टया

| | | |
|---|---|---|
| | सामग्री देखी जाती है और विस्तृत मूल्यांकन नहीं किया जाता। उक्त विधिक सिद्धांत निस्संदेह सही है, परंतु प्रथमदृष्टया सामग्री भी वैध, ग्राह्य और अभियुक्त से संबंधित होनी चाहिए। यदि अभियोजन की अपनी सामग्री से अभियुक्त की पहचान स्थापित नहीं, उपस्थिति स्थापित नहीं, राशि प्राप्ति स्थापित नहीं, डिजिटल संपर्क स्थापित नहीं, बैंकिंग link स्थापित नहीं, recovery स्थापित नहीं और sanction स्थापित नहीं, तो केवल इस आधार पर कि कुछ अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध सामग्री है, अरनव गांगुली पर आरोप तय नहीं किए जा सकते। प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री का पृथक परीक्षण आवश्यक है। वर्तमान आदेश केवल अभियुक्त अरनव गांगुली के संबंध में है और अन्य सह-अभियुक्तों के संबंध में कोई अंतिम टिप्पणी नहीं कर रहा।<br>माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.10.2024 और 18.03.2026 की वास्तविक अनुपालना में इस न्यायालय ने उन सभी बिंदुओं पर विचार किया है जिन पर पूर्व आदेशों को अपास्त किया गया था। प्रथम पुनरीक्षण आदेश में यह कमी मानी गई थी कि अभियुक्त की ओर से उठाए गए आधारों पर सूक्ष्म विचार नहीं किया गया। द्वितीय पुनरीक्षण आदेश में भी यह संकेत दिया गया कि पूर्व निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन नहीं हुआ। वर्तमान आदेश में FIR में नाम व भूमिका का अभाव, FIR में विलंब, परिवादी द्वारा गांजा देने की सहमति, TIP में असफलता, CDR और बैंक रिकॉर्ड का अभाव, recovery का अभाव, धारा 27 की सीमाएँ, medical examination का अभाव, FIR 252/2021 और अन्य FIRs की पृष्ठभूमि, वाहन संबंधी सामग्री की कमजोरी, धारा 197 sanction का प्रश्न, और धारा 384/386 के आवश्यक तत्वों को विस्तृत रूप से विचार किया गया है। इस समग्र परीक्षण के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियुक्त अरनव गांगुली के विरुद्ध आरोप-विरचना के लिए आवश्यक प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध नहीं है।<br>यह न्यायालय इस तथ्य को भी महत्वपूर्ण मानता है कि अभियुक्त की ओर से उठाए गए आधार केवल बचाव की काल्पनिक बातें नहीं हैं, बल्कि वे अभियोजन की अपनी सामग्री से उत्पन्न होते हैं। FIR अभियोजन का दस्तावेज है और उसमें अभियुक्त का नाम नहीं है। शिनाख्तगी कार्यवाही अभियोजन द्वारा कराई गई और | |

| | | |
|---|---|---|
| | उसमें अभियुक्त की पहचान नहीं हुई। बैंक रिकॉर्ड और CDR अभियोजन द्वारा संकलित किए जाने थे और अभियुक्त को उनसे नहीं जोड़ा गया। बरामदगी अभियोजन के अनुसंधान का भाग थी और अभियुक्त से कोई राशि बरामद नहीं हुई। धारा 27 की सूचना अभियोजन ने ली, किंतु उससे कोई incriminating discovery नहीं हुई। धारा 197 दं.प्र.सं. की स्वीकृति अभियोजन को प्रस्तुत करनी थी, परंतु नहीं की गई। अतः अभियुक्त का उन्मोचन किसी बाहरी defence material पर आधारित नहीं है, बल्कि अभियोजन सामग्री की अपनी अपर्याप्तता पर आधारित है।<br><br>यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का नाम FIR में न होकर बाद में अनुसंधान में आने के कारण अभियोजन पर यह अतिरिक्त दायित्व था कि वह अभियुक्त की संलिप्तता को स्वतंत्र और विश्वसनीय सामग्री से जोड़े। ऐसे मामलों में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि अन्य अभियुक्तों ने नाम बताया या अभियुक्त नारकोटिक्स विभाग में था। यदि ऐसी आधारहीन कड़ी को पर्याप्त माना जाए, तो किसी भी लोक सेवक को केवल उसके पद या विभागीय पहचान के कारण आपराधिक मुकदमे में घसीटा जा सकता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। धारा 239 दं.प्र.सं. का उद्देश्य ही ऐसे मामलों में न्यायालय को यह शक्ति देना है कि जहाँ अभियोजन सामग्री आरोप की न्यूनतम विधिक कसौटी तक नहीं पहुँचती, वहाँ अभियुक्त को अनावश्यक विचारण से मुक्त किया जाए।<br><br>यह न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि discharge का आदेश इस आधार पर नहीं है कि अभियोजन ने अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध नहीं किया। वह कसौटी विचारण के अंत में लागू होती है। वर्तमान स्तर पर कसौटी यह है कि क्या अभियोजन सामग्री, अपने face value पर स्वीकार करने पर भी, अभियुक्त अरनव गांगुली के विरुद्ध धारा 384 और 386 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों का grave suspicion उत्पन्न करती है। इस न्यायालय के मत में इसका उत्तर नकारात्मक है। FIR में नाम नहीं, पहचान नहीं, शिनाख्तगी असफल, CDR नहीं, बैंक link नहीं, recovery नहीं, धारा 27 discovery नहीं, medical corroboration नहीं, sanction नहीं—इन सभी परिस्थितियों के रहते अभियुक्त के विरुद्ध | |

केवल सामान्य suspicion भी ठोस नहीं है, grave suspicion तो दूर की बात है।

अभियुक्त की ओर से विभागीय कार्यवाही और प्रतिकूल वित्तीय आदेशों के संबंध में भी प्रार्थना की गई है। वर्तमान आपराधिक प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न सीमित रूप से धारा 239 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उन्मोचन या आरोप-विरचना का है। विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय वित्तीय आदेशों के संबंध में कोई आदेश पारित करना इस आपराधिक प्रकरण की सीमा और वर्तमान न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता और अभियुक्त विधि अनुसार सक्षम मंच पर अपना उपचार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः समस्त पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप-पत्र, अनुसंधान सामग्री, अभियुक्त की विस्तृत लिखित बहस, माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1, बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 एवं 18.03.2026, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त अरनव गांगुली के विरुद्ध धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के लिए आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध नहीं हैं। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप निराधार पाए जाते हैं। परिणामस्वरूप अभियुक्त अरनव गांगुली पुत्र श्री चिन्मय गांगुली को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अंतर्गत धारा 384 एवं 386 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अरनव गांगुली के जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त किए जाएँ। धारा 437-A दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुपालना में अभियुक्त से नियमानुसार बंधपत्र लिया जाए।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक .................... पेश हो।